ग्राम पंचायत पंचायत वशिष्ठ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वशिष्ठ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री गोर्वधन	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री प्रेम लाल	23.1.16 से लगातार

(ii) सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कर्म चन्द	1.4.14 से 11.1.17
2	श्री राज कुमार	12.1.17 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत वशिष्ठ के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा नं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	8.22
2	6	हस्तगत राशि को बैंक जमा प्रविष्टि बैंक पास बुक में न मिलना	0.06
3	9	पंचायत राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	1.82
4	10	अनुदान का उपयोग शेष रहना	52.33
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	9.37

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत वशिष्ठ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कूल्लु के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी व श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.12.17 (अपराह्न) से 4.1.18 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/15, 2/16 व 3/17 तथा 9/14, 11/15 व 3/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत वशिष्ठ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2018-02 दिनांक 3.1.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत वशिष्ठ से अनुरोध किया गया।

G.P. Vashisht

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत वशिष्ठ, विकास खण्ड नग्गर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत वशिष्ठ के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 (क व ख)** में दिया गया है।

बैंक पास बुकों के अनुसार :– परिशिष्ट–1 (क)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	2372229.00	3047842	149289	5569360	2781759	2787601
2015–16	2787601.00	4958741	105751	7852093	3397083.48	4455009.52
2016–17	4455009.52	5134218	169466	9758693.52	2750671.68	7008021.84

(ii) मनरेगाः– परिशिष्ट–1 (ख) Part II

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	शून्य	155000	538	–	557992	
2015–16		–	–	–	547080.98	
2016–17		–	–	–	1103765	शून्य

Note:- Labour & material Payments through F.T.O

(ख) दिनांक 31.3.17 को विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरणः–

दिनांक 31.3.17 को ग्राम पंचायत वशिष्ठ की विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंक	खाता सं0	राशि (₹)
1	KCC	20035003423	6747231.00
2	PNB	1713000109933175	1042526.00
3	UCO	06900110019122	36571.84
4	PNB	1713000109933689	शून्य
5	KCC	20035003503	2764.00
6	KCC	50051861763	555.00
			₹7829647.84
7	PNB	1713000109944588 (MGNREGA)	शून्य

G.P. Vashisht

31.3.17 को बैंक में जमा राशि	**₹7829647.84**
Add:- हस्तगत राशि	₹486.00
	₹7830133.84
Less:-	
31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि	₹7008021.84
अन्तर	₹822112.00

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को ₹8.22 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत वशिष्ठ की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा कुल राशि व रोकड़ बही के अन्तिम शेष में ₹822112 का अन्तर है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत वशिष्ठ द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार पंचायत द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से घ)** में दिया गया है।

5 हस्तगत ₹0.17 लाख को देर से बैंक में जमा करवाने बारेः–

पंचायत की रोकड़ बही का अवलोकन करने में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 027 दिनांक 29.2.16 का हस्तगत राशि ₹20200 बैंक में जमा करवाए गए दर्शाए गए थे। बैंक पास बुक संख्या 20035003423 का मिलान रोकड़ बही से करने पर पाया गया कि केवल ₹3200 दिनांक 29.2.16 को बैंक में जमा करवाए गए थे तथा शेष ₹17000 दिनांक 21.3.16 को बैंक में जमा करवाई गई थी। अतः रोकड़ बही में बैंक जमा ₹20200 की प्रविष्टि 29.2.16 को करके ₹17000 दिनांक 21.3.16 को बैंक में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया

जाए तथा भविष्य में रोकड़ बही में दर्ज दिनांक के अनुसार ही हस्तगत राशि को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 हस्तगत ₹0.06 लाख बैंक जमा प्रविष्टि बैंक पास बुक में न मिलने बारेः—

पंचायत की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 117 दिनांक 27.11.14 को ₹6000 बैंक में जमा करवाए गए की प्रविष्टि की गई थी परन्तु बैंक खाता संख्या 20035003423 की जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.11.14 को बैंक पास बुक में ₹6000 जमा करवाने की कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं थी। अतः उक्त राशि बैंक में किस दिन जमा करवाए गए, का पूर्ण विवरण से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	राशि (₹)
1	5.4.14 से 25.4.14	6119
2	26.4.14 से 27.4.14	2882
3	28.4.14	3312
4	2.5.14 से 8.5.14	3942
5	9.5.14 से 12.5.14	4242
6	13.5.14 से 15.5.14	4872
7	12.8.14 से 26.8.14	4459
8	23.10.14 से 27.10.14	4437
9	13.11.14 से 26.11.14	6422
10	3.1.15 से 5.1.15	6129
11	6.1.15 से 9.1.15	38629

G.P. Vashisht

12	13.1.15 से 19.1.15	10639
13	20.1.15 से 23.1.15	16239
14	24.1.15 से 30.1.15	4286
15	16.4.15 से 27.4.15	5748
16	13.5.15 से 21.5.15	6940
17	22.5.15 से 26.5.15	6946
18	12.11.15 से 28.11.15	10906
19	6.2.16 से 8.2.16	31481
20	9.2.16	67381
21	10.2.16	96831
22	11.2.16	6831
23	20.2.16 से 27.2.16	14696
24	13.6.16 से 22.6.16	12331
25	6.12.16 से 27.12.16	5425
26	28.1.17 से 13.2.17	4678

8 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन, तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹1.82 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व ₹181600 वसूली हेतु शेष थी **(परिशिष्ट–3)**

G.P. Vashisht

(i) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	106700	102700	209400	51800	157600
2015–16	157600	104400	262000	211800	50200
2016–17	50200	104400	154600	2000	152600

(ii) दुकानों/भवनों का किरायाः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	5600	98400	104000	84400	19600
2015–16	19600	98400	118000	103200	14800
2016–17	14800	98400	113200	84200	29000

(iii) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	9000	11500	20500	10000	10500
2015–16	10500	11500	22000	17000	5000
2016–17	5000	11500	16500	16500	शून्य

No. of Tower:- 5

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹52.33 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "4"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹5232602 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

G.P. Vashisht

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register
2	Cheque issue/Receipt Register
3	Bill Register
4	Stationery Register
5	Mobile Tower fee register
6	Shop rent collection Register
7	Work Register
8	Temporary Advance Register

12 दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा शेष राशियों व अनुदानों तथा स्वः स्त्रोत की शेष राशियों में ₹11.05 लाख का अन्तर :–

ग्राम पंचायत वशिष्ठ के लेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को पंचायत के विभिन्न बैंक खातों **(परिशिष्ट–5)** में शेष राशियों व अनुदानों तथा स्वः स्त्रोत की शेष राशियों **(परिशिष्ट–6)** में ₹1105072.84 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशि किस–2 शीर्ष (Head) की है कि गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा राशियाँ	₹7829647.84
दिनांक 31.3.17 को अनुदान व स्वः स्त्रोत को शेष राशियाँ	₹6724575.00
अन्तर	₹1105072.84

G.P. Vashisht

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–7** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹937430 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि **परिशिष्ट–8** में दिए गए कार्यों के प्राशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु पंचायत में उपलब्ध नहीं थे। अतः उक्त में दिए गए कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

15 क्रय सामग्री ₹6.91 लाख स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः निम्न विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करें अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया

जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना							
Sr.No.	**Grant**	**Cash Book Page No.**	**Vr.No**	**Bill No. /Date**	**Name of firm**	**Material**	**Amt. (₹)**
1	निधि	107/11.9.14	37	135/11.9.14	M/S Computer World, Patlikuhl	Computer Cartridge	730
2	निधि	107/17.7.14	42	37/15.9.14	M/S Kingsoffset Printing Press, Manali	Rim	200
3	निधि	14/28.11.14	184	15509/28.11.15	M/S R.V. Hardware & Sanitary Store, Manali	Paint	3200
4	निधि	-do-	185	332/10.11.15	M/S Ravi Book Shop, Manali	Rim	200
5	13th Fin.	62/12.11.15	168	2955/15.11.15	M/S Shashi Enterprises Manali	Construction Material	1100
6	-do-	-do-	170	15040/23.11.15	M/S R.V. Hardware & Sanitary store, Manali	Paint	2535
7	निधि	71/29.3.17	153	604/11.2.17	M/S Atul Book Shop, Manali	Stationery	500
8	-do-	72/31.3.17	154	5987/14.2.17	M/S Skirni Book depot Manali	Rim	200
9	14th Fin.	-do-	156	136/24.3.17	M/S JAG Trading Co. Sundernagar	Solar lights	455000
10	-do-	-do-	157	159/25.3.17	-do-	-do-	227500
						Total	**₹691165**

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

G.P. Vashisht

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः– पंचायत के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 28/2018–खण्ड–1–3014–3017 दिनाँक 03.05.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत वशिष्ठ विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

G.P. Vashisht